कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल
दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–555162
E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 01/2019/03/2510 **भोपाल, दिनांक** 20/2/19

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त),
मध्यप्रदेश

विषयः पात्र मतदाताओं के नामांकन के लिये दिनांक 02.03.2019 (शनिवार) एवं 03.03.2019 (रविवार) को जिले/विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प आयोजित करने बाबत्।

संदर्भः 1. भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र. 23/1/2019-ERS दिनांक 19.02.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 01/2019/3/2372 दिनांक 18.02.2019

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 02 एवं 03.03.2019 को जिले/विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देशित किया है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त बी.एल.ओ. 2019 की अंतिम प्रकाशित नामावली की प्रति के साथ मतदान केन्द्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे ताकि नाम जुड़वाने से शेष रहे मतदाता अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वाने हेतु उन्हें आवेदन प्रस्तुत कर सकें। अनपढ़ मतदाताओं की सुविधा के लिये शिविर के दौरान मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जावेगा। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा फार्म भरने की सुविधा के लिये बी.एल.ओ. फार्म 6, 7, 8, 8क की पर्याप्त प्रतियां अपने साथ रखेंगे।

आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया है कि इस विशेष कैम्प के संबंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जावे एवं प्रेस नोट रिलीज किया जावे। साथ ही समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित में अवगत कराने हेतु आयोग ने निर्देश दिये हैं ताकि वे मतदान केन्द्रों पर बी.एल.ए. की उपस्थित अपने प्रतिनिधि के रूप में कर सके। प्रचार–प्रसार के माध्यम से निर्वाचकों को यह भी अवगत करावें कि ईपिकधारी मतदाता भी अपना नाम निर्वाचक नामावली में जांच लें यदि निर्वाचक नामावली में उनका नाम नहीं पाया जाता है तो वे निर्धारित प्रपत्र 6 में आवेदन प्रस्तुत करें। इस तथ्य का भी प्रचार किया जाना चाहिये कि ईपिक केवल पहचान दस्तावेज है और यदि व्यक्ति का नाम संबंधित मतदान केन्द्र के मतदाता सूची में नहीं है तो मताधिकार की गारंटी नहीं देता है।

इस अभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण दिनांक 14.03.2019 तक किया जाना है। बी.एल.ओ. द्वारा तुरत भौतिक सत्यापन कर ई.आर.ओ. को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फार्म प्राप्ति के 11 दिवस के अंदर ई.आर.ओ. द्वारा इनका निराकरण किया जावे।

अभियान के दौरान प्राप्त प्रपत्रों की निगरानी के लिये एक प्रारूप निर्धारित किया गया है। अभियान के दौरान प्राप्त फार्मो की प्रविष्टि विधानसभा क्षेत्रवार सी.ई.ओ. पोर्टल पर की जानी है। अभियान के दौरान प्राप्त फार्मो की डाटा प्रविष्टि, प्रपत्रों के संबंध में दिनांक 04 मार्च, 2019 तक कार्यवाही की जाना है और इन प्रपत्रों के निपटान के बारे में जानकारी दिनांक 14 मार्च, 2019 तक वेबसाईट के माध्यम दी जाना है।

कृपया आयोग के उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उक्त अभियान के संबंध में अवगत कराते हुये मतदान केन्द्र पर बी.एल.ए. की उपस्थित सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। साथ ही निर्धारित समयावधि में आयोग की वेबसाईट पर सी.ई.ओ. पोर्टल के माध्यम से प्रविष्टीयां कराया जाना सुनिश्चित करावें।

विशेष अभियान के दौरान 18–19 वर्ष के आयुवर्ग के संभावित मतदाताओं और अपंजीकृत मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाये।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

20.2.19

(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक 01/2019/03/25 11 **भोपाल, दिनांक** 20/2/19
प्रतिलिपिः—

1. संभागीय आयुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिलों को समय–सीमा में कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट आई. टी. सेंटर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. स्वीप शाखा, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री राहुल बाघमारे, वेबसाईट डेव्हलपर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर लेख है कि आयोग के निर्देशों को वेबसाईट पर अपलोड करें।

20.2.19

(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

By Speed Post/Email

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No.23/1/2019-ERS

Dated: 19th February, 2019

To,

The Chief Electoral Officers
Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana

Sub: Special Camps to be organized at every polling station on 2nd March (Saturday) and 3rd March, 2019 (Sunday) for enrollment of left out eligible voters-regarding

Madam/Sir,

I am directed to state that the Commission, keeping in view of the impending general election to Lok Sabha, 2019 and in order to provide further opportunity in campaign mode to all un-enrolled eligible persons to get their names registered in the electoral rolls during continuous updation period after final publication of roll, so that they are not deprived of voting at elections, has directed that special camps for this purpose shall be organized on **2nd March (Saturday) and 3rd March, 2019 (Sunday)** in each polling station for enrolment of left out eligible electors. Booth Level Officers (BLOs) shall remain present in the camps along with the copies of final electoral rolls, 2019. One copy of the electoral roll shall be made available in the polling station so that electors can check their names in the rolls. The electoral rolls shall also be read out publically during the camp to facilitate illiterate voters. BLO shall keep adequate copies of Forms 6,7, 8, 8A with him/her to facilitate filling up forms by interested persons.

2. Wide publicity shall be given for special campaign days through all media channels including print and electronic media etc. The CEO and DEOs must announce these special campaigns through Press Releases. All recognized political parties must be informed in writing by DEOs about the camps. Political parties should be requested to depute their BLAs to remain present in the camps.Wide publicity should also be given to the fact that EPIC holders must also check their names in electoral rolls and fill up Form 6 if their name does not exist in the roll for

some reason. Publicity should also be given to the fact that EPIC is only the identification document and does not guarantee franchise if name of the person is not in the electoral roll of the concerned polling station.

3. All the Forms received during these campaign days shall be disposed of by 14th March, 2019 positively. The BLOs must immediatelycomplete the physical verification and then submit report to the ERO. ERO should complete the due process of law and dispose of the forms, received during the camps within 11 days (i.e. by 14th March, 2019).

4. A format (as enclosed herewith) has been prescribed to monitor the Forms received during the camps will be made available at CEOs' portal at appropriate time. Assembly constituency-wise data entry in respect of Forms received during Camps shall be done on the website of the Commission at CEOs' Portal. The data entry, in respect of the forms, received during the campaign, is required to be done on the website latest by 4th March, 2019 and information about disposal of Forms shall be given through website by 14th March, 2019.

Yours faithfully,

(RITESH SINGH)
UNDER SECRETARY

Format for special camps being organised at every PS on 2nd March, (Saturday), 2019 and 3rd March, (Sunday) 2019

	Forms 6 received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 6 accepted, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)(Names added)				Form 6 rejected, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 6 pending, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)			
	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total
18-19 years																
Above 19 years																
Total																

	Forms 7 received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 7 accepted, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)(Names deleted)				Form 7 rejected, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 7 pending, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)			
	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total
18-19 years																
Above 19 years																
Total																

	Forms 8 received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 8 accepted, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)(Names corrected)				Form 8 rejected, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 8 pending, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)			
	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total
18-19 years																
Above 19 years																
Total																

	Forms 8A received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 8A accepted, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)(Names corrected)				Form 8A rejected, out of those received 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)				Form 8A pending, out of those received on 2nd /3rdMarch, 2019 (camp day)			
	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total	Male	Female	Others	Total
18-19 years																
Above 19 years																
Total																

ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

मि0 सं0 23/म0प्र0/2019 (प0अ0–1)

दिनांक :– 20 फरवरी, 2019

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश,
भोपाल ।

विषयः– दिनांक 01.01.2019 की अर्हता तिथि के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2019 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, उपरोक्त विषयक आपके दिनांक 19.02.2019 के पत्र संख्या 35/03/2019/2451 को सन्दर्भित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य में फोटो निर्वाचक नामावली के दिनांक 22.02.2019 को अंतिम प्रकाशन किये जाने को आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में मतदाता पंजीकरण के दिनांक 02 तथा 03 मार्च, 2019 को आयोजित किये जाने वाले विशेष अभियान के दौरान 18–19 वर्ष के आयुवर्ग के सम्भावित मतदाताओं और अपंजीकृत मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

भवदीय,

संतोष कुमार

(संतोष कुमार)
अवर सचिव